from the funding departments i.e., Department of Space, Defence Research & Development Organisation, Council of Scientific & Industrial Research, Department of Science & Technology, Department of Electronics and Department of Environment & Forest. An autonomous institution called National MST Radar Facility (NMRF) has been created by the Government of India for maintaining and operating the facility and ensuring its scientific utilisation in the coming decade or more.

प्रतिभाशाली व्यक्तियों का पलायन

644. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से प्रतिवर्ष कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति अर्थात् उच्च शिक्षा प्राप्त युवा रोजगार की तलाश में विदेशों को पलायन करते हैं और ऐसे लोगों की प्रतिशतता कितनी है जो कि स्थायी रूप से वहीं बस जाते हैं;

(ख) सरकार द्वारा प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा उठाये गए इन कदमों से प्रतिभा पलायन में किसी प्रकार की कोई रोक लगी है, यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कानून बनाने पर विचार करेगी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) कुछ भारतीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद दूसरे देशों में जाते हैं । लेकिन, उनका रिकार्ड रखना संभव नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा ऐसे प्रतिभा पलायन को रोकने और विदेशों में बसे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को भारत में लौटने के लिए भी आकर्षित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं । उनमें से कुछेक इस प्रकार है :

उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए परिव्यय में बढ़ोतरी करना ।

नए वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का सृजन करना ।

विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में उत्कर्ष/उच्च अध्ययनों के लिए अधिक केन्द्रों की स्थापना करना ।

देश में औद्योगिक यूनिटों की स्थापना करने के लिए अनिवासी भारतीयों को सहायता देने हेतु उद्योग मंत्रालय में एक विशेष सैल का गठन करना । कुछ राज्यों ने भी इसके लिए विशेष सैलों और विभागों की स्थापना की है ।

वैज्ञानिक पूल की स्कीम के अंतर्गत वैज्ञानिकों और टेक्नोक्रैटों की अस्थायी तैनाती का प्रावधान करना ।

अधिसंख्य पदों का सृजन करना ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी एवं उभरते हुए क्षेत्रों में सहायता देने के लिए अल्पावधि तकनीकी नियुक्तियों पर विदेशों में बसे भारतीय मूल के प्रतिष्ठित पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित करना ।

विज्ञान के नए और अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए आवश्यक आधुनिक सुविधाओं सहित व्यावसायियों के क्रोड समूहों का गठन करना ।

उद्यमवृत्ति विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण ।

वैज्ञानिकों की कार्यदशाओं में सुधार करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों को वर्धित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान करना ।

विदेशों से लौटने वाले व्यावसायियों को उपस्कर के आयात में सुविधाएं सुलभ करना ।

एसोसिएटशिप/फैलोशिप/पाठ्यक्रमों के जरिये कार्मिक शक्ति विकास प्रशिक्षण/पुनरप्रशिक्षण कार्यक्रम ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा वैज्ञानिकों की भर्ती

645. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "सी० एस० आई० आर० रिक्रूट्स 56 आइडियल साइंटिस्ट्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है :

(ख) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा इन 56 वैज्ञानिकों को हाल ही में नियुक्त किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इन वैज्ञानिकों के वार्षिक वेतन की धनराशि कितनी है और क्या इन वैज्ञानिकों को कोई कार्य सौंपा गया है; और

(घ) इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) जी हां ।

(ख) ये नियुक्तियां हाल ही में नहीं की गई । 13 अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों सहित 51 वैज्ञानिकों ने पहले दिए गए विज्ञापनों के आधार पर वर्ष 1989—1991 के बीच